



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2007/आषाढ़ 11, 1929

No. 297]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2007/ASADHA 11, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 457(अ).—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित के जरिए चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 36 और नियम 44 को प्रतिस्थापित करती है :—

“36. शुल्क—(1) प्रत्येक फिल्म की जांच हेतु निम्नलिखित तालिका में निर्धारित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा और बोर्ड के उस क्षेत्रीय केन्द्र, जहां फिल्म की जांच की जानी है, को नकद अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा देय या बैंक ड्राफ्ट के जरिए इसका भुगतान किया जाएगा।

शुल्क की तालिका

भाग I जांच शुल्क :

(i) सेल्यूलॉयड फिल्म

मीटर (तक और मुख्य रूप से शैक्षिक मुख्य रूप से शैक्षिक सहित) में लंबाई फिल्में (रु.) फिल्मों के अलावा (रु.)

1	2	3
300	200	1000
600	400	2000
900	600	3000
1200	800	4000
1500	1000	5000

1	2	3
1800	1200	6000
2100	1400	7000
2400	1600	8000
2700	1800	9000
3000	2000	10000
3300	2200	11000
3600	2400	12000
3900	2600	13000
4200	2800	14000
4500	3000	15000
4800	3200	16000
5100	3400	17000
5400	3600	18000
5700	3800	19000
6000	4000	20000

(ii) सेल्यूलॉयड फिल्मों के अलावा

मिनटों (तक और मुख्य रूप से शैक्षिक मुख्य रूप से शैक्षिक सहित) में अवधि फिल्में (रु.) फिल्मों के अलावा (रु.)

1	2	3
10	280	950
20	560	1850
30	600	3000
40	740	3700
50	920	4600
60	1100	5500
70	1280	6400
80	1480	7400
90	1660	8300
100	1840	9200

1	2	3
110	2020	10100
120	2200	11000
130	2400	12000
140	2560	12000
150	2740	13700
160	2940	14700
170	3120	15600
180	3300	16500
190	3500	17500
200	3660	18300

भाग : II उपरोक्त भाग I में उल्लिखित जांच शुल्क के अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा :

(i) सेल्यूलॉयड फिल्मों

मीटर (तक और सहित) में लंबाई	प्रदर्शन शुल्क (रु.)
1	2
300	100
600	200
900	300
1200	400
1500	500
1800	600
2100	700
2400	800
2700	900
3000 और इससे अधिक	1000

(ii) सेल्यूलॉयड फिल्मों के अलावा

मिनटों (तक और सहित) में अवधि	प्रदर्शन शुल्क (रु.)
1	2
10	70
20	140
30	210
40	280
50	350
60	420
70	490
80	560
90	630
100	700
110	770
120	840
130	910

1	2
140	980
150	1050
160	1120
170	1190
180	1260
190	1330
200	1400

(2) नियम 33 के अंतर्गत परिवर्तनों को प्रमाणित करने हेतु जांच शुल्क—नियम 33 के अंतर्गत परिवर्तनों को प्रमाणित करने के लिए एक फिल्म की जांच शुल्क केवल रील या रीलों (या कैसेट अथवा कैसेटों) के संदर्भ में परिगणित की जाएगी जिसके हिस्से या हिस्सों को काटा गया, जोड़ा गया, रंग किया गया या अन्यथा परिवर्तन किए गए और इन प्रयोजनार्थ मूल सत्यापन के लिए उपर्युक्त तालिका में विनिर्दिष्ट दर अनुप्रयोज्य होगी :

बशर्ते कि जहां परिवर्तन काट कर किया जाता है, वहां सत्तर रुपए प्रत्येक अनुमोदन की दर से शुल्क प्रभार्य होगा।

(3) प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति को लिए सत्तर रुपए के शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(4) फिल्म की जांच करने से पहले यदि प्रमाणन हेतु किया गया आवेदन वापिस ले लिया जाता है तो इस संबंध में बोर्ड को एक आवेदन दिए जाने के बाद बोर्ड द्वारा फिल्म की जांच के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त राशि में से पच्चीस प्रतिशत की राशि काटकर आवेदक को भुगतान किया जा सकता है।

(5) यदि कोई आवेदक फिल्म की जांच करने के लिए निर्धारित स्थान पर नियत किए गए दिन और समय पर जांच समिति या संशोधन समिति के समक्ष प्रदर्शित किया जा सकने वाला प्रिंट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो फिल्म की जांच करने के प्रयोजनार्थ अगली तारीख, स्थान और समय निर्धारित करने से पहले फिल्म की जांच करने के लिए देय शुल्क के पच्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(6) यदि, गलती से या गलत परिकलन करने से अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से आवेदक किसी फिल्म की जांच करने हेतु इन नियमों के तहत देय शुल्क से अधिक राशि का भुगतान कर देता है तो इस संबंध में बोर्ड को एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन दिए जाने के बाद बोर्ड, आवेदक द्वारा प्रदत्त अधिक राशि का भुगतान कर सकता है।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी फिल्म के प्रमाणन या उससे संबंधित किसी अन्य ब्यौरे के संबंध में सूचना मांगने हेतु बोर्ड से आवेदन करता है तो वह आवेदन के साथ प्रत्येक फिल्म के शीर्षक के लिए पैंतीस रुपए के अन्वेषण शुल्क का भुगतान करेगा।

2. उपर्युक्त परिवर्तन इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

[सं. 801/7/2005-एफ (सी)]

वी. बी. प्यारेलाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—दिनांक 9 मई, 1983 के सं. सा.का.नि. 381(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2007

G.S.R. 457(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), Central Government hereby substitutes Rule 36 and Rule 44 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 by the following:—

“36. Fees.—(1) A fee shall be charged for the examination of every film at the rates laid down in the following Table and the same shall be paid either in cash or remitted by postal order or bank draft to the regional center of the Board where the film is to be examined.

Table of Fees

Part I—Examination Fee:

(i) Celluloid Films

Length in meters (upto and inclusive of)	Predominantly Educational films (Rs.)	Other than Predominantly Educational Films (Rs.)
1	2	3
300	200	1000
600	400	2000
900	600	3000
1200	800	4000
1500	1000	5000
1800	1200	6000
2100	1400	7000
2400	1600	8000
2700	1800	9000
3000	2000	10000
3300	2200	11000
3600	2400	12000
3900	2600	13000
4200	2800	14000
4500	3000	15000
4800	3200	16000
5100	3400	17000
5400	3600	18000
5700	3800	19000
6000	4000	20000

(ii) Other than Celluloid Films

Duration in minutes (upto and inclusive of)	Predominantly Educational films (Rs.)	Other than Predominantly Educational Films (Rs.)
1	2	3
10	280	950
20	560	1850
30	600	3000
40	740	3700
50	920	4600
60	1100	5500
70	1280	6400
80	1480	7400
90	1660	8300
100	1840	9200
110	2020	10100
120	2200	11000
130	2400	12000
140	2560	12000
150	2740	13700
160	2940	14700
170	3120	15600
180	3300	16500
190	3500	17500
200	3660	18300

Part II. In addition to the Examination Fee mentioned in Part I above, Screening Fee shall be charged as under :—

(i) Celluloid Films

Length in Meters (upto and inclusive of)	Screening Fee (Rs.)
1	2
300	100
600	200
900	300
1200	400
1500	500
1800	600
2100	700
2400	800
2700	900
3000 and above	1000

(ii) Other than Celluloid Films

Duration in Minutes (Upto and inclusive of)	Screening Fee (Rs.)
1	2
10	70
20	140
30	210
40	280
50	350
60	420
70	490
80	560
90	630
100	700
110	770
120	840
130	910
140	980
150	1050
160	1120
170	1190
180	1260
190	1330
200	1400

- (2) Fee for examination for certifying alterations under Rule 33 — Fee for the examination of a film for certifying alterations under Rule 33 shall be calculated only with reference to the reel or reels (or cassette or cassettes), in which the portion or portions excised, added, coloured or otherwise altered occur and for the purposes the rate specified in the table aforesaid for original certification shall be applicable:

Provided that where the alteration is by excision,

the fee chargeable shall be at the rate of rupees seventy per each endorsement.

- (3) A fee of rupees seventy shall be paid for a duplicate copy of the certificate.
- (4) In the event of an application for certification being withdrawn before the film is examined, the Board may on an application made to it in that behalf, refund to the applicant the amount of fee paid towards the examination of the film after deducting twenty five per cent of the amount so paid.
- (5) In the event of an applicant failing to present a runnable print before the Examination Committee or the Revising Committee on the day and time and at the place fixed for such examination, an additional fee of twenty five per cent of the fee payable for examination of the film under this Table shall be paid before another place, date and time for the examination of the film is fixed.
- (6) If, by mistake, miscalculation or such other reason, the applicant pays towards fee for the examination of any film any amount in excess of the amount of fee payable under these rules, the Board may, on an application made in that behalf, within a period of one year from the date of certification of the film, refund to the applicant the amount so paid in excess.
- (7) Any person who applies to the Board for information regarding the certification or any other particular in respect of a film shall along with the application, pay a search fee of rupees thirty five per each title of the film.

2. The above changes will take effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. 801/7/2005-F(C)]

V. B. PYARELAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (i) vide number GSR 381 (E) dated the 9th May, 1983.